डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

# मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
डिस्पेच दिनांक प्रतिमाह 1 व 16

● वर्ष 63 ● अंक 01 ● भोपाल ● 1-15 जून, 2019 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

## 'पर्यटन से रोजगार' शासन की प्राथमिकता

### मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा पर्यटन रणनीति और भावी योजनाओं की समीक्षा

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मध्यप्रदेश को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटक मित्र बनाने और अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार–प्रसार की नीति का मुख्य आधार 'माउथ पब्लिसिटी' होना चाहिए। यह अधिक कारगर और प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग से लोगों को रोजगार मिले यह शासन की मंशा है। मुख्यमंत्री मंत्रालय में पर्यटन के क्षेत्र में रणनीति और भावी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। पर्यटन मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन नीति में ऐसे टूरिस्ट सर्किट और डेस्टिनेशन हब बनाना होंगे, जिससे पर्यटक एक से अधिक पर्यटन स्थलों को देख सके और वहाँ आसानी से पहुँच सके। उन्होंने बेहतर परिवहन के साथ हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी करने को कहा। इससे पर्यटकों का समय बचेगा और वे एक से अधिक स्थलों पर जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग को अधिक ऊँचाई पर ले जाने के लिए उन राज्यों की पर्यटन नीति का अध्ययन किया जाये, जहाँ पर्यटन रोजगार का मुख्य जरिया बन गया है।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश में बहुतायत में लगभग सभी अंचलों में पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक, रमणीय और विश्व प्रसिद्ध धरोहरें उपलब्ध हैं। जरूरत इस बात की है कि इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार–प्रसार की ऐसी नीति तैयार करें, जिससे हमारे प्रदेश के पर्यटन उद्योग की तेजी से प्रगति हो। श्री नाथ ने कहा कि प्रचार–प्रसार नीति का अहम हिस्सा विज्ञापन के अलावा 'माउथ पब्लिसिटी' होना चाहिए, जो सबसे अधिक कारगर और प्रभावी है। उन्होंने कहा कि इससे हम प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर के साथ ही प्रदेश स्तर पर रोजगार दे सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इससे जुड़ी सभी सरकारी और गैर सरकारी एजेसियों और संस्थाओं में बेहतर तालमेल जरूरी है। टूरिस्ट फ्रेंडली व्यवहार पर विशेष ध्यान देना होगा।

प्रमुख सचिव पर्यटन श्री हरिरंजन राव ने प्रदेश में वर्तमान में उपलब्ध पर्यटन स्थलों, संभावनाओं और आगामी रणनीति के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव वन श्री के.के. सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन एवं अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

## श्री अजीत केसरी कृषि एवं सहकारिता के प्रमुख सचिव बने

### डा. अग्रवाल आयुक्त, सहकारिता

श्री अजीत केसरी आई.ए.एस.

डॉ. एम.के. अग्रवाल, आई.ए.एस.

**भोपाल।** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा हाल ही में की गयी पदस्थापना के तहत श्री अजीत केसरी आई.ए.एस. को सहकारिता के साथ कृषि विभाग का भी प्रमुख सचिव बनाया गया है। पूर्व में श्री केसरी, प्रमुख सचिव, सहकारिता तथा संसदीय कार्य विभाग एवं डॉ. राजेश राजौरा, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग थे तथा कमिश्नर चम्बल संभाग डॉ. एम.के. अग्रवाल, आई.ए.एस. को आयुक्त सह पंजीयक, सहकारी संस्थाये, म.प्र. एवं एम.डी. तिलहन उत्पादक संघ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पूर्व में श्री केदार शर्मा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें म.प्र. थे।

## गेहूँ खरीदी के बदले 11,500 करोड़ की राशि का भुगतान : खाद्य मंत्री

### प्रदेश में रबी फसलों का रिकॉर्ड 73.60 लाख मी. टन उपार्जन

**भोपाल।** खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि रबी उपार्जन 2019 के तहत प्रदेश के किसानों को साढ़े 11 हजार करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष रिकॉर्ड 73 लाख 60 हजार मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की गई। श्री तोमर ने रबी उपार्जन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को बैंकों में लंबित राशि शीघ्रता से किसानों के खाते में जमा कराने के निर्देश दिये हैं।

खाद्य मंत्री श्री तोमर ने कहा कि किसानों को फसल विक्रय की राशि तुरंत भुगतान के प्रयास तेजी से किया जाना चाहिए। श्री तोमर ने बताया कि इस वर्ष रबी फसलों के उपार्जन के विशेष प्रबंध किए गए थे। राज्य सरकार द्वारा खरीदी केंद्रों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ, इलेक्ट्रॉनिक तौल काँटों से खरीदी करने, खरीदी की पूर्व सूचना किसानों को देने और फसल राशि किसानों के खाते में ऑनलाइन अंतरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। सभी खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए शीतल पेयजल और बैठक की विशेष व्यवस्था भी की गई थी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में रिकॉर्ड 9 लाख 65 हजार किसानों से 73 लाख 60 हजार मीट्रिक टन खरीदी की गई, जो एक रिकॉर्ड है। इसके एवज में कुल 13 हजार 43 करोड़ की राशि का भुगतान किसानों को किया जाना है। खरीदी की अंतिम तिथि 25 मई थी।

बैठक में नागरिक आपूर्ति निगम की प्रबंध संचालक श्रीमती सूफिया फारुकी उपस्थित थी।

# सहकारी विवादों का निराकरण

**जब दो पक्ष किसी विषय पर एक मत न हो, तो सामान्य भाषा में इसे विवाद कहा जा सकता है। ऐसे प्रकरण का निबटारा तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है। कानून के अन्तर्गत ऐसे ही विवाद निराकरण योग्य होते है, जिनसे वैधानिक अधिकार प्रभावित होते हों।**

**सहकारी विधान के अन्तर्गत विवाद**

विधान की धारा 64 के अन्तर्गत किसी सहकारी समिति के गठन,प्रबन्ध, व्यवसाय किसी सोसायटी के नियोजन के निबन्धनों और शर्तों अथवा समिति के परिसमापन संबंधी विवाद सम्मिलित है। ऐसे विवाद निपटारे हेतु पंजीयक/प्राधिकृत अधिकारी को संदर्भित किए जायेंगे।

**विवाद के पक्षकर**

धारा 64 के अन्तर्गत विवाद यदि निम्नलिखित पक्षों के बीच हो, तो निर्णय हेतु प्रेषित किया जावेगा। अन्य पक्षकारों के होने पर पंजीयक को क्षेत्राधिकार नहीं होगा–

1. किसी समिति, उसकी प्रबन्ध समिति, कोई भूतपूर्व प्रबन्ध समिति या कोई भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी, कोई भूतपूर्व या वर्तमान अभिकर्ता, कोई भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी या प्रतिनिधि या वैधानिक प्रतिनिधिगण, मृत कर्मचारी या समिति का परिसमापक,
2. किसी सदस्य भूतपूर्व सदस्य या किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य या कोई समिति जोकि उस समिति का सदस्य हो, के हितों को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति,
3. समिति के सदस्य के सिवाय कोई व्यक्ति जिसे कि समिति द्वारा ऋण प्रदान किया गया हो अथवा जिसके साथ समिति के व्यापारिक लेनदेन हो या रहें हो, उक्त व्यक्तियों के हितों को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति,
4. कोइ सदस्य,भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य या कोई भी असदस्य जिसे कि समिति द्वारा ऋण प्रदान किया गया हो, को प्रतिभू,फिर चाहें वह प्रतिभू समिति का सदस्य हो या न हों,
5. अन्य कोई भी समिति या ऐसी समिति का परिसमाप, और
6. किसी समिति का साहूकार।

**टिप्पणी :**

विवाद हेतु उपरोक्त में से ही पक्षकार होंगे अन्यथा इस धारा के अन्तर्गत पंजीयक को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होगा।

**अनिवार्य विवाद**

निम्न को विधान के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से विवाद माना गया है, फिर चाहे वे विवाद की श्रेणी न आते हो :–

1. किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य के नामांकित व्यक्ति उत्तरा–धिकारी या वैधानिक प्रतिनिधि से समिति को प्राप्य किसी ऋण या मांग की समिति द्वारा दावा फिर चाहे ऐसा ऋण या ऐसी मांग स्वीकार की गई हो या न की गई हो,
2. जबकि वास्तविक ऋणी ऋणी की त्रुटि के परिणामस्वरूप वास्तविक ऋणी से समिति को प्राप्य किसी ऋण या मांग के संबंध कमें समिति ने प्रतिभू से कोई धनराशि वसूल की हो, चाहे ऐसा ऋण या ऐसी मांग स्वीकी कार की गइ हो या न की गई हो, ऐसी स्थिति में प्रतिभू द्वारा प्रमुख ऋणी के विरूद्ध दावा,
3. समिति के सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य, किसी अधिकारी भूतपूर्व अधिकारी या मृत अधिकारी, किसी अभिकर्ता, भूतपूर्व या मृत अभिकर्ता, किसी कर्मचारी, भूतपूर्व कर्मचारी या कर्मचारी अथवा उसकी भूतपूर्व या वर्तमान प्रबन्ध समिति द्वारा की गई हानि के लिए उसके द्वारा दावा चाहे उक्त हानि स्वीकार की गई हो या न की गई हो।
4. अधिकार आदि से संबंधित प्रश्न जिसमें गृह निर्माण समिति तथा उसके किरायेदार या सदस्यों के मध्य किरायेदारी के अधिकार सम्मिलित है, और
5. समिति के किसी अधिकारी के निर्वाचन के संबंध में या सोसाइटी के या संयुक्त सोसाइटी के प्रतिनिधि के निर्वाचन के संबंध में उठने वाला कोई विवाद, (परन्तु ऐसे प्रकरणों में निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही पंजीयक विवाद ग्रहण कर सकेगा।

**विवाद की परिभाषा का निर्णय पंजीयक द्वारा**

यदि कोई ऐसा प्रश्न खड़ा हो कि पंजीयक को भेजा गया विवाद वास्तव में विवाद की परिभाषा में आता है या नहीं, तो उस पर पंजीयक का निर्णय अंतिम माना जावेगा। और उसे किसी व्यवहार न्यायालय में विवाद का विषय नहीं बताया जावेगा। अन्तिम निर्णय पर उच्च न्यायालय में याचिका लगाई जा सकती है और उच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। केवल विवाद के गुण दोषों पर न्यायालय को विचार करने का अधिकार नहीं रहेगा। किन्तु व्यवहार न्यायालय किसी पदाधिकारी के पूर्णतया अनाधिकृत कार्य के संबंध में लाये। विवाद को श्रवण कर सकता है। यदि पंजीयक किसी विवाद को विवाद निर्णित नहीं करता है, जो उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन पंजीयक के उक्त निर्णय के विरूद्ध सुनवाई का अधिकार है। पंजीयक को कोई विवाद इस धारा के अधीन है या नहीं इस बाबत आवेदन दिया जावे तो उसे विरूद्ध पक्षकार को सूचना देनी होगी और ऐसी सूचना के बर्गैर उस विवाद को पंजीयक ने ग्राह्य कर लिया , तो उसको विवाद के रूप में ग्राह्य करने के बाबत् चुनौती दी जा सकती है। यदि पंजीयक ऐसे विवाद को ग्राह्य करता है जिसका उसे अधिकार नही है, तो याचिका की जाने पर उच्च न्यायालय ऐसे विवाद की सुनवाई रोक सकेगा। म.प्र. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा यह निर्णीत किया गया है कि पंजीयक के आदेश की अन्तिमता उच्च न्यायालय की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी और याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 तथा 227 के अधीन सुनी जा सकेगी।

**विवाद प्रस्तुत करने की अवधि**

पंजीयक के समक्ष विवाद प्रस्तुत करने संबंधी अवधि का प्रावधान धारा 65 में किया गया है। धारा 65 के उपधारा (1) के खण्ड (अ) एवं (स) मे विभिन्न प्रकार के विवादों के लिये अवधि 6 वर्ष की रखी गई है तथा किसी पदाधिकारी के निर्वाचन के संबंध में ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के दिनांक से 45 दिन की होगी ।

इन विवादों को छोड़कर अन्य विवादों की दशा में भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। परिसीमा समाप्त होने के पश्चात् भी पंजीयक पर्याप्त कारणों से विवाद को ग्राह्य कर सकता है। पर्याप्त कारण विद्यमान था या नहीं यह तथ्य का प्रश्न है, जो हर एक प्रकरण की स्थिति के अनुसार जांचा जावेगा। अभिभावक ने उसको मामले पर यदि कोई कार्यवाही नहीं की, यह पर्याप्त कारण होने के प्रमाण होगा। पक्षकार को विलंब के लिए स्पष्टीकरण देना होगा। अभिभावक की .त्रुटि पक्षकार की सद्भावी त्रुटि , अभिभावक के कर्मचारी की सत्य प्रतिलिपियां करने में भूल यदि मामलों में न्यायालयों ने पार्याप्त कारण माने हैं। बीमारी यदि ऐसी हो जिससे पक्षकार समय पर, विवाद दायर न कर सका हो, तो वह पर्याप्त कारण होगा, अन्यथा नहीं। ऐसी त्रुटियां जो साधारण अथवा बुद्धिमत्ता से टाली जा सकती थी अथवा सद्भावना पूर्वक न हो, पर्याप्त कारण नहीं मानी जावेगी ।

**विवादों के प्रकार**

इस अधिनियम में कहीं ऐसा प्रावधान नही है, जिससे औद्योगिक विवाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन निराकरण नहीं किये जा सकें। अतः सहकारी समिति एवं उसके कर्मचारियों के बीच वेतन, मॅहगाइ भत्ता, छंटनी, प्रतिकार, वेतनमान संबंधी विवाद, औद्योगिक विवादों के रूप में विशिष्ट न्यायालयों द्वारा सुने जा सकेंगे। इनको श्रवण करने का औद्योगिक अथवा श्रम न्यायालयों को एकाधिकार होगा।

समिति के परिसमापन संबंधी सभी विवाद तथा सदस्यता से निष्कासन संबंधी विवाद, प्रबन्ध द्वारा सदस्य को निष्कासित करने के सभी विवाद, इसी धारा के अधीन विवाद के रूप में पंजीयक द्वारा श्रवण किये जा सकेंगे। किन्तु यदि पंजीयक ने समिति के हित में किसी सदस्य को निष्कासित किया है तो वह विवाद उसे इस धारा के अधीन श्रवण करने का अधिकार नहीं होगा। परिवेदित व्यक्ति द्वारा 77 के अधीन ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील दायर सकेगा अथवा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकेगी । समिति द्वारा निष्कासन में इस धारा के अधीन विवाद अथवा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकेगी।

**अपील**

इस धारा के अधीन पारित आदेशों के विरूद्ध धारा 77 के प्रावधानों के अनुरूप अपील की जा सकेगी।

पंजीयक द्वारा स्वयं निर्णय अथवा निर्णय हेतु प्रकरणों का हस्तान्तरण (धारा 66)

पंजीयक धारा 64 के अधीन विवाद संदर्भित किये जाने पर या तो स्वयं विवाद का निर्णय करेगा या पंजीयक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के मण्डल को पंच निर्णय हेतु हस्तांतरित कर सकेगा।

**(शेष पृष्ठ 6 पर)**

## आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व तहसीलदार अधिकृत

**मुरैना।** राज्य शासन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार को अधिकृत किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को तदाशय के निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा 103 वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत सरकार की सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो वर्तमान आरक्षण की योजनाओं में नहीं आते हैं, को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ लेने हेतु आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसलिए केन्द्रीय सेवाओं व शिक्षण संस्थानों में प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को इसका लाभ प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि वे आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र समुचित जांच एवं संतुष्टि के बाद ही जारी करें।

# आदिवासी संस्कृति के देव-स्थानों के संरक्षण की योजना स्वीकृत

## मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रि–परिषद की बैठक संपन्न

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि–परिषद की बैठक में आदिवासी संस्कृति के देव–स्थानों के संरक्षण एवं देव–दर्शन की योजना को मंजूरी दी गई। योजना में देवी–देवता, ग्राम देवी–देवता एवं समुदाय के देवी–देवता विभिन्न आदिवासी समुदायों में गौंड जनजाति और उनकी उप जातियों, कोरकू, मवासी, भील जनजाति के ऐसे पारम्परिक देवठान/थानक आदिवासी, जो आदिवासी बस्तियों/टोलों/मोहल्लों में स्थित है, उनका निर्माण एवं जीर्णोद्धार कर संरक्षण किया जाएगा। योजना को वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक संचालित करने के लिए वित्तीय आकार स्वरूप 40 करोड़ रूपये की स्वीकृति की गई।

मंत्रि–परिषद ने रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं विपणन) नियम, 2019 का अनुमोदन किया। इस नियम के प्रावधानों के अधीन रेत खदानों की समूह बनाकर नीलामी की जायेगी। इससे राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी। पंचायतों को इससे प्राप्त होने वाली राशि में भी वृद्धि के प्रावधान किये गये हैं। ई–नीलामी से खदानें नीलाम होने से पारदर्शिता भी कायम रहेगी। नर्मदा नदी में रेत का उत्खनन मशीनों से नहीं किया जायेगा। अन्य नदियों में रेत खनन में मशीनों उपयोग करने की अनुमति पर्यावरण की स्वीकृति के आधार पर दी जा सकेगी।

पंचायतों को स्वयं के द्वारा कराये जा रहे शासकीय/सार्वजनिक कार्यों में रेत की आपूर्ति वैध खदानों से की जायेगी। पंचायतों द्वारा ऐसे कार्यों के लिए चुकाई गई रॉयल्टी राशि विभाग द्वारा लौटाई जायेगी। पंचायतों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य, जो ठेके पर दिये गये हैं, उन पर रॉयल्टी से छूट नहीं दी जायेगी।

मंत्रि–परिषद ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का भी आज निर्णय लिया। इसमें बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी के 138 महाविद्यालय शामिल होंगे।

मंत्रि–परिषद ने मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लैंड पुलिंग योजना–2019 को प्रायोगिक तौर पर लागू करने का निर्णय लिया। योजना का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र अथवा एकीकृत औद्योगिक नगर के विकास के लिये भूमि पुलिंग के लिये निष्पक्ष और पारदर्शी कार्य–प्रणाली विकसित करना है। कार्य–प्रणाली अंतर्गत भूमि स्वामी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक नगर में साझेदारी महसूस कर सकेंगे तथा औद्योगिकीकरण के लाभ का एक अंश भूमि स्वामी को पहुँच सकेगा। औद्योगिक निवेश को गति देने के लिये इसी क्रम में पीथमपुर, मण्डीदीप जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं विस्तार लगातार किया जा रहा है।

मंत्रि–परिषद की बैठक में बताया गया कि वर्ष 2019–20 के लिए प्रदेश में उद्यानिकी एवं खादय प्र–संस्करण विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना 8 मार्च,2019 को लागू की गई। आपरेशन ग्रीन्स के मूल्य स्थिरीकरण घटक के तहत पूर्व वर्ष की भांति ही वित्तीय वर्ष 2019–20 में रबी फसल प्याज का समर्थन मूल्य 800 रूपये प्रति क्विंटल रखा गया है। प्याज के परिवहन पर योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुदान केन्द्र द्वारा तथा 25–50 प्रतिशत अनुदान राज्य शासन द्वारा दिये जाने के विस्तृत निर्देश जारी किये गए हैं।

# दस्तक अभियान को सफल बनाने ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनायें : मुख्य सचिव

**भोपाल।** मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, कुपोषण नियंत्रण, टीकाकरण, टेकहोम राशन और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिये घर–घर दस्तक देने के लिये संचालित होने वाले दस्तक अभियान की तैयारियों को समय पर सुनिश्चित करने को कहा है। इस संबंध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग में उन्होंने सभी कलेक्टर्स से कहा है कि 10 जून से 20 जुलाई तक प्रदेश में चलने वाले अभियान के क्रियान्वयन के लिये विकासखण्डों में ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनायें। प्रत्येक विकासखण्ड में 10 – 10 ग्राम पंचायत का एक क्लस्टर गठित करें। प्रत्येक क्लस्टर का एक नोडल अधिकारी बनायें। यह अधिकारी विकासखण्ड और जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क में रहेगा और क्लस्टर में शामिल ग्राम पंचायतों में दस्तक अभियान के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण कड़ी होगा। किसी भी विभाग के अधिकारी को क्लस्टर का नोडल अधिकारी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दस्तक अभियान की विशेष ग्राम सभा में स्थानीय जन–प्रतिनिधि, महिला–बाल विकास, स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ एनजीओ और स्व–सहायता समूह के सदस्यों को भी भागीदार बनायें। इससे अभियान का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। मुख्य सचिव आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से अभियान की तैयारियों पर जिला कलेक्टर्स

से चर्चा कर रहे थे। कांन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस्तक अभियान का प्रेजेंटेशन भी दिया गया।

मुख्य सचिव श्री मोहंती ने जिलेवार दस्तक अभियान की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने श्योपुर जिले के कलेक्टर से पूर्व में कुपोषण नियंत्रण के लिये दिये गये निर्देशों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। श्री मोहंती ने कहा कि अभियान में बेहतर कार्य करने वाले पाँच कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पुरस्कृत किया जायेगा। स्वास्थ्य और महिला–बाल विकास विभाग के बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी भी पुरूस्कृत होंगे।

अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह ने कलेक्टर्स से कहा कि दस्तक अभियान में स्वस्थ ग्राम सभा में स्व–सहायता समूह, डीपीएम और समूह प्रेरक की उपस्थिति सुनिश्चित करायें। वर्षाजनित बीमारियों पर नियंत्रण के लिये विशेष पहल करें। श्रीमती सिंह ने कहा कि सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा दें ताकि स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की सामुदायिक ग्राहिता में वृद्धि हो और समुदाय के सर्वाधिक संवेदनशील समूह तक इन सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि स्वस्थ ग्राम सभा में स्थानीय जन–प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, स्वस्थ ग्रामसभा की तदर्थ समिति के सदस्य, समुदाय आधारित संगठनों के प्रतिनिधि, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, स्वास्थ्य विभाग के एएनएम, एमपीडब्ल्यू, आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एलएचव्ही, कुष्ठवर्कर पुरूष सुपरवाईजर और साथियां दल के प्रतिनिधि को प्रतिभागी बनायें। प्रमुख सचिव महिला–बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया और प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री नीतेश व्यास और आयुक्त महिला–बाल विकास श्री एम.बी. ओझा ने भी अभियान की तैयारियों पर कलेक्टर्स को निर्देश दिये। कलेक्टर्स द्वारा दी गयी जानकारी में बताया गया कि ग्राम स्तर पर एएनएम, एमपीडब्ल्यू, आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एलएचव्ही, और आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की टीमें गठित कर दी गयी हैं। ग्राम स्तर का अभियान का माइक्रो प्लान तय कर लिया गया है। इसमें स्वस्थ ग्राम सभा की तिथियों का निर्धारण भी कर दिया गया है। टीम के सदस्य गाँव–गाँव, घर–घर पहुँचकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। कुपोषित और अन्य बच्चों को चिन्हित कर उपचार जरूरी होने पर एनआरसी के लिये रेफर भी करेंगे।

### मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रदेश के सभी कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को पुख्ता बनाने एवं इस संबंध में सभी ज़रूरी क़दम उठाने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं। श्री नाथ ने सूरत में एक कोचिंग संस्थान में हुई आगजनी की दुरूखद घटना और उसमें हुई जनहानि के संदर्भ में यह निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में उठाये गये सभी क़दमों और व्यवस्थाओं की रिपोर्ट 15 दिन में प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मुख्य सचिव से कहा है कि सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित करें कि वे अपने जिले में चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों को सूचीबद्ध कर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कोचिंग संचालकों की बैठक कर सुरक्षा के आवश्यक मापदंड बनाये जायें। साथ ही इन संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या और उसके आधार पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा करें।

# सहकारी समितियों का निरीक्षण एवं जांच

**म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 59 सोसाइटी की कार्यप्रणाली, प्रबंध व्यवस्था तथा वित्तिय स्थिति की विस्तृत जांच तथा धारा 60 सोसाइटी के रिकार्ड के निरीक्षण से संबंधित है। ये धाराएं रजिस्ट्रार के हाथों में नियंत्रण उपकरण(कन्ट्रोलिंग डिवाईस) के रुप में कार्य करती हैं। इन धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाओं पर इस बात के लिए नियंत्रण स्थापित करते है कि ये सहकारी विधान,सहकारी नियमों ओर उपविधियों का पालन करते हुए अपने कार्यो का संचालन पारदर्शी तरीके से सदस्यों और संस्था के हित में करें। इसीलिए धारा 58 के अन्तर्गत प्रत्येक सहकारी समिति का वर्ष में एक बार अंकेक्षण करने या करवाने का दायित्व रजिस्ट्रार को सौंपा गया है, तथा आवश्यकता होने पर समय समय पर सहकारी सोसाइटी की जांच कराने एवं निरीक्षण कराने का भी प्रावधान धारा 59 एवं 60 में किया गया है।**

सहकारी संस्थाओं में अनेकों जिम्मेदार व्यक्ति अवैतनिक होते हैं और वे योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि बहुमत के आधार पर पदाधिकारी बनते है तथा वे ही सहकारी संस्थाओं की प्रबंध व्यवस्था का संचालन करते है। ऐसी स्थिति में दक्षता की कमी प्रबन्ध व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। कार्य प्रक्रिया और नियम–कानूनों का पर्याप्त ज्ञान नहीं होने से कार्य संचालन में अनियमितता व त्रुटियों भी हो सकती है। सहकारी संस्थाएं भी व्यापारिक संस्थाएँ ही होती है और व्यापार करने मे भूल–चूक होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उपरी प्रभाव,प्रलोभन एवं व्यक्तिगत हितों के कारण भी सहकारी संस्थाओं को हानि होने की संभावना बनी रहती है।

सहकारी संस्थाओं के कार्यो का नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार चलाने, उनके कार्यो में पारदर्शिता लाने, त्रुटियों को सुधारने तथा सहकारी संस्थाओं को हानियों से बचाने के लिए उनके अंकेक्षण, निरीक्षण एवं जांच करने सम्बन्धी प्रावधान सहकारी अधिनियम एवं नियम में किये गये है, जो सार संक्षेप में निम्नानुसार है–

### सहकारी समितियों की जांच जांच (धारा –59)

रजिस्ट्रार आवेदन पाने पर सोसायटी के गठन, कार्यकरण और वित्तिय स्थिति के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में जांच करेंगे या करवायेंगे।

आवेदन निम्नांकित का होना चाहिए ।

– किसी ऐसे समिति जिससे कि सोसायटी सम्बद्ध है या,
– किसी ऐसे लेनदार, जिसकी सोसायटी ऋणी है या
– प्र.समिति के कम से कम एक तिहाई सदस्यों या
– सोसायटी के सदस्यों की संख्या का कम से कम एक दशमांश सदस्य

2. आवेदकों से ऐसी शुल्क जो विहित की जाये ओर जो जांच को संचालित करने की पूर्ति के पर्याप्त समझी जाये के प्राप्त होने पर ही पंजीयक जांच का आदेश करेगा ।
3. जांच, आदेश पारित होने की तारीख से चार माह के अन्दर पूरी की जायेगी ।
4. जांच पूरी होने की तारीख से एक माह की कालावधि के अन्दर जॉच प्रतिवेदन सम्बन्धित समिति, आवेदक, लेनदार तथा परिसंघ को प्रेषित किया जाएगा ।

### जॉच में सहायता करने का कतिपय व्यक्तियों का कर्तव्य (धारा –59–अ)

सोसायटी के समस्त अधिकारी, सदस्य या अन्य व्यक्ति जिनके पास सोसायटी से संबंधित जानकारी, पुस्तकें तथा कागज–पत्रों का कब्जा रखे हुए हों, जॉच करने वाले को ऐसी जानकारी या कागज या पत्र पेश करेंगे तथा वह समस्त सहायता देंगे जो कि वे युक्ति युक्त रूप से दे सकते है।

अगर कोई व्यक्ति जिनके पास जानकारी या कागजात है और जॉच अधिकारी की समक्ष पेश करने से इंकार करते हैं तो पंजीयक या प्राधिकृत व्यक्ति उस इन्कार को प्रमाणित करेंगे तथा पंजीयक कथन/प्रतिवादी सुनने के बाद उक्त व्यक्ति को 1000.00 रु. का जुर्माना कर दण्डित करेंगे।

शास्ति के रूप में अधिरोपित की गई राशि अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा वसूलीय होगा।

### सोसायटी की पुस्तकों का निरीक्षण (धारा–60)

पंजीयक स्वतः की प्रेरणा से या किसी सोसायटी के लेनदार या आवेदन प्राप्त होने सोसायटी की पुस्तकों का निरीक्षण करेगा या सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत कर किसी व्यक्ति से निरीक्षण कराने का आदेश दे सकेगा ।

परन्तु कोई ऐसा निरीक्षण लेनदार के आवेदन पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक

क – पंजीयक को यह समाधान न कर दें कि ऋण वह राशि है जो तभी शोध्य है और यह कि उसके भुगतान की मांग की है, तथा युक्ति–युक्त समय के भीतर चुका प्राप्त नहीं किया है, और

ख–पंजीयक द्वारा आपेक्षित निरीक्षण खर्च रजिस्ट्रार के पास निक्षिप्त न कर दें

अगर निरीक्षण पंजीयक के स्वप्रेरणा से हुआ हो तो निरीक्षण परिणाम सोसायटी को और अगर निरीक्षण लेनदार के आवेदन पर किया गया हो तो लेनदार एवं सोसायटी दोनों को संसूचित करेगा ।

### त्रुटियों की परिशुद्धि (धारा –61)

संपरीक्षा, जांच या निरीक्षण के परिणाम स्वरूप किसी सोसायटी के गठन कार्यकरण या उसकी वित्तिय स्थिति या लेखा पुस्तकों में कोई त्रुटियों प्रकट हो तो पंजीयक ऐसी त्रुटियां उक्त सोसायटी एवं उसके संघ समिति की जानकारी में लायेगा।

पंजीयक उस सोसायटी को उक्त त्रुटियों का उपचार करने के लिए कार्यवाही करने का निर्देश देगा। कार्यवाही उस समय के भीतर की जायेगी जो निर्देश में वर्णित है।

### जांच एवं निरीक्षण के खर्चे (धारा –62)

जॉच एवं निरीक्षण के खर्चे या खर्चो का ऐसा भाग जो पंजीयक उचित समझे सोसायटी , मांग करने वाले सदस्य या लेनदार तथा सोसायटी के अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी के बीच प्रभाजित कर सकेगा।

परन्तु खर्चो के प्रभाजन का आदेश निर्गत करने के पहले संबंधित को सुनवायी का अवसर देंगे।

रजिस्ट्रार उन आधारों को, जिन पर की खर्च की प्रभाजन किया गया हो, लिखित में कथित करेगा।

### अधिभार – (सरचार्ज)

किसी सोसायटी को हए नुकसान की भरपाई हेतु की जाने वाली कार्यवाही को अधिकार कहा जाता है। धारा 58 (बी/ख) के अन्तर्गत अधिभार कार्यवाही संबंधी प्रावधान किये गये है, जो संक्षेप में निम्नानुसार है :–

### धारा–58 (बी)

इस अधिनियम,नियमों या उपविधि में किसी बात के होते हुए भी जहॉ सोसायटी के हिस्सा पूँजी में राज्य सरकार ने अभिदाय किया है, या उधार दिया है या वित्तिय सहायता दी है, या उधारों, डिबेन्चरों या अग्रिमों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है या अनुदान दिया है।

और यदि उक्त सोसायटी के संपरीक्षा, जॉच निरीक्षण या परिसमापन के दौरान या अन्यथा यह पाया जाता है कि, वैसे व्यक्ति जो सोसायटी के संगठन या प्रबन्ध में भाग लिया है या ले रहा है और उसने –

– नियम के प्रतिकूल कोई भुगतान किया है।
– घोर उपेक्षा या अवचार द्वारा समिति को हानि पहुँचायी है।
– सोसायटी के धन/सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया है या कपटपूर्वक रख छोड़ा है।

तो पंजीयक स्वतः की प्रेरणा से या समिति, समापक या किसी लेनदार के आवेदन पर ऐसे व्यक्ति के आचरण की जॉच अंकेक्षण,जॉच,निरीक्षण रिपोर्ट की तारीख के दो वर्ष के भीतर स्वयं करेगा या लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत कर किसी व्यक्ति से करायेगा।

परन्तु किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी जॉच तब–तक संस्थित नहीं की जाएगी जब–तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

यदि जॉच के उपरान्त पंजीयक को यह समाधान हो जाये कि इस उपधारा के अधीन आदेश देने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति (मृतक की दशा में वारिस या प्रतिनिधि) से यह अपेक्षा करते हुए आदेश करेगा कि संगणित किये गये ब्याज सहित उस धन या सम्पत्ति या उसके किसी भाग का प्रतिसंदाय या प्रत्यावर्तन करे या अभिदाय खर्चो का भुगतान ऐसी सीमा तक करे जो पंजीयक न्यायसंगत एवं साम्यिक समझे।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश तब–तक नहीं दिया जाएगा जब–तक कि संबंधित व्यक्ति उस मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

परन्तु यह और कि मृतक के किसी विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की उस संपत्ति की सीमा तक ही होगा जो विधिक प्रतिनिधि के हाथ में आई हों।

निबंधक के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उसे आदेश संसूचित किये जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा।

यदि शपथ पत्र या जॉच के आधार पर अन्यथा पंजीयक को यह समाधान होता है कि, कोई व्यक्ति किसी ऐसे आदेश के प्रर्वतन में विलम्ब करने या बाधा पहुँचानें के आशय से –

– अपनी संपूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को व्ययनित करने वाला है।
– अपनी सम्पूण्र सम्पत्ति या किसी भाग को रजिस्ट्रार की अधिकारिता से हटाने वाला है।

तो वह, जब–तक की पर्याप्त प्रतिभूति न दे दी गयी हो, उक्त सम्पत्ति या भाग के सशर्त कुर्की का निर्देश दे सकेगा।

**सामान्य विवेचना** – राज्य के विधान मण्डल ने पूर्व मे म.प्र. अधिनियम क्रं.12 सन् 1994 के द्वारा किसी भी सहकारी संस्था को गलत प्रकार से हुए नुकसान की पूर्ति हेतु जिम्मेदार पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध अधिभार (सरचार्ज) आरोपित करने वाली धारा 63 को बिना वैकल्पिक प्रावधान का निर्माण किये , हटा दिया था। इस भूल की ओर ध्यान आकर्षिक होने पर विधान मण्डल ने पुनः म.प्र.अधिनियम क्रं.20 सन् 1999 द्वारा नई धारा 58 बी/ख का निर्माण किया हैं। इस धारा के उपबन्धों के द्वारा विधान मण्डल ने केवल उन सहकारी सोसायटियों को हुए नुकसान की पूर्ति हेतु अधिभार आरोपित करने की व्यवस्था की है, जिनमें शासन की अंश पूँजी या धन लगा हों, शासन द्वारा कोई वित्तिय सहायता या उधारो, अग्रिमों ऋणपत्रों को चुकाने की जामनत दी हो या कोई अनुदान दिया हो। स्पष्ट है कि यह धारा उन सहकारी समितियों पर लागू नहीं होती, जिनमें शासन का कोई हित न हो। **(शेष पृष्ठ 6 पर)**

# एनईएफटी व्यवस्था

**नैशनल इलेक्ट्रानिक फंड्स ट्रान्स्फर (एनईएफटी) एक देश व्यापी व्यवस्था है, जो व्यक्तियों, फर्मों, और कंपनियों को बैंक की किसी एक शाखा से देश में स्थित अन्य किसी बैंक शाखा में खातेदार व्यक्तियों, फर्मों, और कंपनियों को इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करती है।**

**प्रश्न 1 एनईएफटी क्या है?**

**उत्तरः** नैशनल इलेक्ट्रानिक फंड्स ट्रान्स्फर (एनईएफटी) एक देश व्यापी व्यवस्था है, जो व्यक्तियों, फर्मों, और कंपनियों को बैंक की किसी एक शाखा से देश में स्थित अन्य किसी बैंक शाखा में खातेदार व्यक्तियों, फर्मों, और कंपनियों को इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करती है।

**प्रश्न 2 क्या देश में स्थित सभी बैंक शाखाएं एनईएफटी निधि अंतरण नेटवर्क का भाग हैं?**

**उत्तरः** एनईएफटी निधि अंतरण नेटवर्क का भाग होने के लिए किसी बैंक शाखा को एनईएफटी–सक्षम होना चाहिए।

**प्रश्न 3 हम कैसे जान सकते हैं कि कौनसी बैंक शाखाएं एनईएफटी नेटवर्क का भाग हैं?**

**उत्तरः** एनईएफटी व्यवस्था में हिस्सा लेने वाली बैंक शाखाओं की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एनईएफटी व्यवस्था में हिस्सा लेने वाले बैंकों / शाखाओं के पास भी विवरण उपलब्ध रहेगा।

**प्रश्न 4 एनईएफटी के माध्यम से कौन निधि अंतरण कर सकता है?**

**उत्तर :** बैंक शाखा में खातेदार व्यक्ति, फर्में अथवा कंपनियां एनईएफटी के माध्यम से निधि अंतरण कर सकते हैं। वे व्यक्ति, फर्में अथवा कंपनियां भी जिनका बैंक में खाता नहीं है(अकस्मात ग्राहक) एनईएफटी सक्षम शाखा में एनईएफटी के द्वारा निधि अंतरण के मकसद से नकदी जमा करा सकते हैं। अकस्मात ग्राहकों को नकदी जमा कराने और लाभार्थी को निधि अंतरण करने के लिए एनईएफटी व्यवस्था में अलग से एक लेन–देन कोड (नं.50) आबंटित किया गया है। ऐसे ग्राहकों को अपने पूरे पते, दूरभाष नं, आदि समेत अपना सम्पूर्ण विवरण देना होता है। इस प्रकार मूल रूप से राशि भेजने वालों अथवा प्रेषकों को एनईएफटी यह सुविधा देता है कि वे बिना बैंक खाते के भी निधि अंतरित कर सकते हैं।

**प्रश्न 5. एनईएफटी व्यवस्था के माध्यम से निधि कौन प्राप्त कर सकता है?**

**उत्तर :** व्यक्ति, फर्में अथवा कंपनियां जिनका बैंक में खाता है, एनईएफटी व्यवस्था के माध्यम से निधि प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी का देश में स्थित उस एनईएफटी सक्षम बैंक शाखा में खाता होना आवश्यक है जहां निधि जानी है।

एनईएफटी व्यवस्था भारत से नेपाल, एक–तरफा सीमा पार निधि अंतरण की सुविधा भी देती है। यह इंडो–नेपाल धन–प्रेषण सुविधा योजना के नाम से जानी जाती है। प्रेषक किसी भी एनईएफटी सक्षम शाखा से नेपाल में निधि अंतरित कर सकता है, भले ही लाभार्थी का नेपाल में बैंक में खाता हो या नहीं। लाभार्थी को नेपाली मुद्रा में निधि प्राप्त होगी। भारत से नेपाल निधि अंतरण की सुविधा हेतु एनईएफटी व्यवस्था में अलग से एक लेन–देन कोड (नं.51) आबंटित किया गया है।

इंडो – नेपाल धन – प्रेषण सुविधा योजना की और अधिक जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

**प्रश्न 6. एनईएफटी द्वारा अंतरित की जा सकने वाली राशि की क्या कोई सीमा है?**

**उत्तर :** नहीं। एनईएफटी द्वारा अंतरित की जा सकने वाली राशि की कोई निम्नतम या अधिकतम सीमा नहीं है। लेकिन ऊपर प्रश्न 4 और प्रश्न 5 में वर्णित अकस्मात ग्राहक, इंडो–नेपाल धन–प्रेषण सुविधा योजना के तहत निधि अंतरित करने वाले अधिकतम रु.49,999 तक की राशि ही अंतरित कर सकते हैं।

**प्रश्न 7. क्या यह व्यवस्था केन्द्र विशेष तक सीमित है या इसकी अन्य कोई भौगोलिक सीमाएं हैं?**

**उत्तर :** नहीं। देश के भीतर केन्द्र या भौगोलिक क्षेत्र संबंधी कोई सीमाएं नहीं है। एनईएफटी व्यवस्था बैंकों की केंद्रीकृत लेखा प्रणाली का लाभ उठाती है। इस उद्देश्य के लिए एनईएफटी के माध्यम से निधि अंतरण के आदेश देने वाले या पाने वाले बैंकों के खाते केंद्रीकृत रूप से मुंबई में संचालित किए जाते हैं। हालांकि एनईएफटी में भाग लेने वाली शाखाएं देश के किसी भी कोने में हो सकती हैं।

इंडो–नेपाल धन–प्रेषण सुविधा योजना का लाभ देने के लिए एनईएफटी व्यवस्था नेपाल में बैंकों की शाखाओं में भी उपलब्ध करायी गयी है। (जैसा कि ऊपर प्रश्न 5 में बताया गया है)

**प्रश्न 8. एनईएफटी का संचालन समय क्या है?**

**उत्तर :** वर्तमान में, एनईएफटी में लेनदेन का निपटान हर घंटे किया जाता है । सप्ताह के पहले पाँच दिन प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक ग्यारह निपटान रखे गए हैं तथा शनिवार प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक पांच निपटान रखे गए हैं।

**प्रश्न 9. एनईएफटी व्यवस्था कैसे संचालित होती है?**

**उत्तर :** व्यक्ति / फर्म / कंपनी जो एनईएफटी के द्वारा निधि अंतरण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें लाभार्थी का पूरा विवरण देते हुए एक प्रार्थना पत्र भरना होगा (जैसे लाभार्थी का नाम, उस बैंक शाखा का नाम जिसमें लाभार्थी का खाता हो, बैंक शाखा आईएफएससी, खाते का प्रकार, खाता संख्या)। प्रार्थना पत्र एनईएफटी निधि अंतरण आरंभ करने वाली बैंक शाखा के पास उपलब्ध होगा। प्रेषक बैंक शाखा को अपने खाते से निर्दिष्ट राशि निकालने और लाभार्थी को भेजने के लिए अधिकृत करेगा। वे ग्राहक जो नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग कर रहे हैं निधि अंतरण के लिए ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं। कुछ बैंक एटीएम द्वारा भी एनईएफटी सुविधा देते हैं। लेकिन अकस्मात ग्राहकों को बैंक शाखा को अपना संपर्क सूत्र विवरण (पूरा पता और टेलीफोन नं. आदि) देना होगा। इससे किसी कारण से लाभार्थी के खाते में पैसा न पहुंचने, अंतरण निरस्त / वापिस होने पर ग्राहक को पैसा लौटाने में शाखा को मदद मिलेगी।

**प्रश्न 10. आईएफएससी क्या है?**

**उत्तर :** आईएफएससी या भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो एनईएफटी में भाग लेने वाली बैंक शाखा को एक विशिष्ट पहचान देता है। यह 11 अंकों का कोड है जिसमें प्रथम 4 अल्फा वर्ण हैं, जो बैंक को प्रदर्शित करते हैं तथा अंतिम 6 संख्यात्मक अक्षर हैं, जो शाखा को प्रदर्शित करते हैं। पांचवा वर्ण शून्य(0) है। आईएफएससी का उपयोग एनईएफटी द्वारा लक्ष्य बैंकों / शाखाओं को संदेश भेजने के लिए किया जाता है।

**प्रश्न 11. किसी बैंक शाखा के आईएफएससी का पता कैसे लगाया जा सकता है?**

**उत्तर :** आईएफएससी की बैंक–वार सूची एनईएफटी में भाग लेने वाली सभी बैंक शाखाओं के पास उपलब्ध है। एनईएफटी में भाग लेने वाली सभी बैंक शाखाओं और उनकी आईएफएससी की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी बैंकों को भी यह सलाह दी गयी है कि वे अपने ग्राहकों को जारी किए जाने वाले चेकों पर भी बैंक शाखा का आईएफएससी प्रिंट करवाएं। कई बैंकों ने नेट बैंकिग का लाभ लेने वाले ग्राहकों को लक्ष्य बैंक शाखा के आईएफएससी खोजने के लिए आन लाइन खोजने / पॉप अप की सुविधा उपलब्ध करायी है।

**प्रश्न 12. एनईएफटी लेनदेन की प्रोसेसिंग या सेवा शुल्क क्या है?**

**उत्तर :** भारतीय रिज़र्व बैंक ने सदस्य बैंकों के लिए 31 मार्च 2011 तक प्रोसेसिंग या सेवा शुल्क माफ किया है। तदनुसार एनईएफटी में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों को किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग या सेवा शुल्क भारतीय रिज़र्व बैंक को नहीं देना होता

**प्रश्न 13. लाभार्थी के खाते में राशि कब तक क्रेडिट हो जानी चाहिए?**

**उत्तर :** सप्ताह के दिनों के प्रथम नौ बैचों (अर्थात प्रातः 9 से सायं 5 बजे तक के लेनदेनों) और शनिवार को प्रथम चार बैचों (अर्थात प्रातः 9 से 12 बजे तक के लेनदेनों) का लाभार्थी के खाते में उसी दिन क्रेडिट हो जानी चाहिए । सप्ताह के दिनों के अंतिम दो बैचों में हुए लेनदेनों (अर्थात सायं 6 और 7 के बैचों में हुए लेनदेनों) और शनिवार के अंतिम बैच (अर्थात दोपहर 1 बजे हुए लेनदेनों) का लाभार्थी के खाते में उसी दिन या अगले कार्य दिवस की सुबह तक के क्रेडिट हो जानी चाहिए। (यह लाभार्थी द्वारा बैंक से ली जाने वाली सुविधा पर निर्भर करता है)।

**प्रश्न 14. लाभार्थी के खाते में क्रेडिट न होने अथवा क्रेडिट में देरी होने पर किससे संपर्क किया जाना चाहिए?**

**उत्तर :** लाभार्थी के खाते में क्रेडिट न होने अथवा क्रेडिट में देरी होने पर संबंधित बैंक के ग्राहक सुविधा केन्द्र (सीएफसी) से संपर्क किया जा सकता है (प्रेषक अपने बैंक के सीएफसी से; लाभार्थी अपने बैंक के सीएफसी से संपर्क कर सकता है)। बैंक के एनईएफटी ग्राहक सुविधा केन्द्र का विस्तृत विवरण संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

यदि मामले का हल संतोषजनक तरीके से न हो तो, राष्ट्रीय समाशोधन केन्द्र भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई स्थित एनईएफटी हेल्प डेस्क (या भारतीय रिज़र्व बैंक का ग्राहक सुविधा केन्द्र) से ईमेल दमजिीमसचकमोदबब/तइप.वतह.पद द्वारा या महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय समाशोधन केन्द्र, प्रथम तल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन पाइंट, मुंबई–400021 को पत्र भेज कर संपर्क किया जा सकता है।

**प्रश्न 15. क्या होगा यदि लाभार्थी के खाते में राशि क्रेडिट न हो पाए?**

**उत्तर :** यदि किसी भी कारण से लाभार्थी के खाते में राशि क्रेडिट न हो पाए तो जिस बैच में लेनदेन प्रारंभ हुआ उसकी समाप्ति के दो घंटों के अंदर लक्ष्य बैंकों को वह लेनदेन राशि लौटानी होगी (मूल शाखा को)।

उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक एनईएफटी सक्षम शाखा को दोपहर 12.05 बजे निधि अंतरण का अनुरोध करता है तो शाखा संदेश को अपने पूलिंग सेंटर के माध्यम से तत्काल उपलब्ध बैच में, जो कि एक बजे का बैच है (उदाहरण के लिए) प्रोसेसिंग के लिए एनईएफटी समाशोधन केंद्र भेज देता है। यदि लक्ष्य बैंक किसी वजह से हिताधिकारी को क्रेडिट नहीं दे पा रहा हो तो उसे दोपहर 3.00 बजे वाले बैच से पहले मूल बैंक को लेन–देन की राशि को वापस करना होगा। मूल शाखा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अगले 30 मिनट (अर्थात) दोपहर 3.30 बजे तक मूल ग्राहक को राशि क्रेडिट करे। कहने का मतलब यह है कि ग्राहक क्रेडिट न किए गए सभी लेन–देनों के मामलों में लगभग 3 से 4 घंटे के भीतर अपनी राशि वापस पाने की उम्मीद कर सकते हैं।

**(शेष पृष्ठ 7 पर)**

(पृष्ठ 4 का शेष)

# सहकारी समितियों का निरीक्षण एवं जांच

**अपील व पुनरीक्षण** – धारा 50 (बी/ख) के अधीन किये गये आदेश के विरूद्ध अपील सीधे राज्य सहकारी प्राधिकरण को ही की जा सकेगी। अपील की अवधि आदेश प्राप्त करने की तारीख से तीन दिन की होगी। चूँकि इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार केवल रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं संयुक्त रजिस्ट्रार को ही है, तथा रजिस्ट्रार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील सहकारी अधिकरण के समक्ष ही प्रस्तुत की जा सकती है, अतः धारा 7(14) के अनुसार ऐसे मामलों में पुनरीक्षण नही हो सकता है, जिसमें उसके समक्ष प्रथम अपील करने का प्रावधान हों। चूँकि धारा 58(बी/ख) के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियां किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौंपी गई है, इसलिए रजिस्ट्रार द्वारा भी इसका पुनरीक्षण नही किया जा सकेगा ।

**आदेश की बजावरी**– धारा 58 (ख/बी) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों से संस्था को हुई हानि की वसूली हेतु जारी आदेश की बजावरी (रकम वसूली की कार्यवाही) धारा 85 में लिखित प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

अधिभार के दायरे में आने वाले पक्षकार– ऐसा व्यक्ति जिस पर संस्था की व्यवस्था या संगठन का कार्य सौंपा गया है या सौंपा गया था और ऐसा दायित्व चाहे वैतनिक हो या अवैतनिक, नियुक्ति चाहे विधिवत् हो या न हो और उस व्यक्ति ने ऐसा दायित्व स्वीकार किया हो तो वह त्रुटि करने पर अधिभार के दायरे में आयेगा। यदि नियम, अधिनियम, उपविधियों के अन्तर्गत किसी कार्य को करने का भार किसी विशेष पदाधिकारी पर डाला गया हो लेकिन घटना काल में ऐसा कार्यभार किसी अन्य व्यक्ति या पदाधिकारी को सौंपा गया हो यदि वह उस कार्यभार का निर्वाह कर रहा हों तो उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यक्ति भी अधिभार के दायरे में सम्मिलित माना जावेगा। इस प्रकार संस्था के वर्तमान,भूतपूर्व व मृत अध्यक्ष, संचिव, संचालक, अधिकारी, कर्मचारी जो उस घटना तथा घटना काल से संबंधित रहें हो अधिभार के दायरे में आने वाले पक्षकार होंगे।

**उत्तरदायी कृत्य** – इस धारा के अन्तर्गत अधिभार उसी स्थिति में आरोपित किया जा सकता है, जबकि उत्तरदायी व्यक्ति के निम्न में से कोई कृत्य किया हो–

1. **अवैध चुकारा**– अधिनियम, नियमों, उपविधियों के प्रतिकूल कोई चुकारा (भुगतान) किया हो।
2. **घोर प्रमाद** – यदि कोई उत्तरदायी व्यक्ति अपेक्षित सावधानी, रीति समय से कार्य न करें और उससे समिति को हानि हो गई हो तो ऐसा कृत्य धोर प्रमाद की श्रेणी में आता है, उदाहरणार्थ – समय के भीतर कर्ज की वसूली नहीं करता, आयकर तथा विक्रय कर व अन्य करों के रिटर्न समय पर नहीं भरना, जहॉ जमानत लेना अनिवार्य हो और जमानत नहीं लेना, गोदाम मे रखे माल के बीमे का प्रीमियम निर्धारित तारीख के बाद भी नहीं भरना, बिना माल प्राप्त किये बिलों का भुगतान करना आदि घोर प्रमाद के कार्य हैं व इनसे होने वाली क्षति अधिभार के दायरे में आती हैं।
3. **दुराचरण**– जब कोई कार्य विधि–विधान के विपरीत हो, अस्वभाविक हो, व्यवहार से असंगत हो, ऐसा बोध हो कि वह जो कार्य कर रहा है, वह गलत खराब, अवैध एवं हानिकारक हो तो ऐसे कार्य दुराचरण की परिधि में माने जावेंगे।
4. **गबन**– संस्था की सम्पत्ति, या धनराशि का स्वाहित में दुरूपयोग करना, उसे कपटपूर्वक अपने पास रोकना या हड़प जाना गबन की श्रेणी में आता है।

**महत्वपूर्ण तथ्य** –

धारा 58 (बी/ख) के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अधिभार कार्यवाही में क्षति/हानि को वसूली द्वारा पूर्ति करने का आदेश रजिस्ट्रार के द्वारा ही पारित किया जावेगा ।

धारा 58 बी/ख से संबंधित उपरोक्त प्रावधान जो केवल शासकीय सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाओं पर ही लागू किये गये थे व ऐसी संस्थाओं को इस धारा की परिधी से बाहर रखा गया था,जिन्होने कोई शासकीय सहायता नहीं ली थी या प्राप्त नहीं की थी। इससे एक वैधानिक असंतुलन उत्पन्न हो रहा था। जब इस त्रुटिपूर्ण विषम स्थिति की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया, तब राज्य सरकार ने संशोधन अधिनियम क्रं. 10 सन् 2005 द्वारा धारा 50 बी/ख में संशोधन कर इस धारा को सभी प्रकार की संस्थाओं पर अब प्रभावशील कर दिया है, फिर चाहे सहकारी संस्था किसी भी प्रकार की शासकीय सहायता प्राप्त की हो या नहीं की हो। इस प्रकार इस संशोधन अधिनियम क्रं. 10 सन् 2005 द्वारा एक विषम स्थिति को अब समाप्त कर दिया गया है।

# किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता संभाग स्तर पर की जा रही है : व्यापक तैयारियां

**भोपाल।** किसानों को समय पर एवं सुगमतापूर्वक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रहीं है। उर्वरकों की आगामी भंडारण योजना की जानकारी देते हुए संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री बी.एल. बिलैया ने बताया है कि भोपाल संभाग में खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन, धान, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द तिल तथा मूंगफली है।

उन्होंने बताया कि संभाग में लगभग 17 लाख 18 हजार 570 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की खेती की जाती है इसके लिए विगत वर्ष उर्वरक वितरण के दृष्टिगत एवं आगामी फसल कार्यक्रम अनुसार यूरिया एक लाख 4 हजार मैट्रिक टन, डीएपी एक लाख 23 हजार मैट्रिक टन, एमओपी 4 हजार 500 मैट्रिक टन एवं अन्य उर्वरकों का 79 हजार 50 मैट्रिक टन इस प्रकार कुल 3 लाख 10 हजार 550 मैट्रिक टन उर्वरक किसानों को वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

संयुक्त संचालक श्री बिलैया के मुताबिक भोपाल संभाग में सहकारी विपणन संस्था को यूरिया 44 हजार मैट्रिक टन, डीएपी 82 हजार 500 मैट्रिक टन, एमओपी 1500 एवं काम्पलेक्स का 6600 मैट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया है। भोपाल संभाग की सहकारी समितियों में आगामी भण्डारण के लिए यूरिया 33 हजार मैट्रिक टन, डीएपी 61 हजार 875 मैट्रिक टन, एमओपी 1125 मैट्रिक टन तथा काम्पलेक्स 5 हजार 610 मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य अनुसार उर्वरकों का भंडारण डबल लॉक केन्द्रों, सहकारी समिति एवं निजी संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

(पृष्ठ 2 का शेष)

# सहकारी विवादों का निराकरण

इस धारा के अधीन पंजीयक के लिए किसी अशासकीय व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करने के लिए कोई रोक नहीं है। पंजीयक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया गया निर्णय पंजीयक का माना जावेगा। ऐसी स्थिति में इस आदेश के विरूद्ध अपील सहकारी अधिकरण कोहोगी, किन्तु पंजीयक अधिसूचना के अधीन प्रत्यायोजित अधिकारों के अन्तर्गत कार्य करें, तो अपील पंजीयक को होगी ।

पंजीयक को यह अधिकार है कि वह उचित समझने पर नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के मण्डल से विवाद ले सकता है और यदि ऐसे विवाद का निर्णय या तो स्वयं कर सकता है या अन्य नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के मण्डल को हस्तांतरित कर सकता है।

विवादों के निर्णय की प्रक्रिया तथा पंजीयक/उसके नामांकित व्यक्ति अथवा नामांकित व्यक्तियों के मण्डल की शक्ति–धारा 67

पंजीयक को वाद पत्र नियम 52 के अनुसार विहित प्रारूप में दिया जावेगा। पत्र की सूचना प्रतिवादी को दी जाने पर वह उत्तरवाद प्रस्तुत करेगा। वह चाहे तो वादी के विरूद्ध कोई मांग प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि बाद में वह समायोजन कराया जाना चाहता हो। ऐसे समायोजन के प्रस्ताव का वादी उत्तर प्रस्तुत करेगा।

**विवाद निराकरण हेतु पंजीयक/नामांकित व्यक्ति/नामांकित व्यक्तियों के मण्डल की शक्तिया**

1. अस्थायी निषेधाज्ञा एवं अन्तःकालीन आदेश देने की,
2. अभिभाषक को पैरवी करने का आदेश देने की,
3. एक पक्षीय आज्ञा को 30 दिन के अन्दर निरस्त करने का आदेश देने की,
4. पक्षकारों की साक्ष्य अभिलिखित करने की,
5. लिखित प्रमाणों के प्रस्तुतीकरण पर समुचित विचार करने की,
6. किसी व्यक्ति को समन करते और उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और उसका शपथ पर परीक्षण करना,
7. किसी दस्तावेज के प्रकट करने तथा उसकी प्रस्तति की अध्यपेक्षा करना
8. शपथ पत्रों द्वारा तथ्यों का प्रमाण और
9. साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना ।

**एक पक्षीय कार्यवाही**

पक्षकार को समुचित सूचना दी जाने पर भी वह उपस्थित न हो तो न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश देगा। ऐसी एक पक्षीय आज्ञा, यदि 30 दिन के अन्दर पंजीयक को यह संतुष्टि करा दी जावे कि अनुपस्थित रहने के पर्याप्त कारण थे, निरस्त कर दी जावेगी ओर प्रकरण में आगामी कार्यवाही का दिनांक निर्धारित किया जावेगा। सूचना की तामिल ठीक से नहीं होना, अभिभाषक का अन्य न्यायालय में व्यस्त होना, पक्षकार या उसके अभिभाषक की रूग्णता आदि पर्याप्त कारण है, जिनको देखकर विवाद का एक पक्षीय आदेश निरस्त किया जा सकता है।

# भू-जल स्त्रोतों के संरक्षण में नवीन तकनीक होगी कारगर : श्री पांसे

## पेयजय स्त्रोंतों के स्थायित्व विषयक कार्यशाला सम्पन्न

**भोपाल।** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने कहा है कि पृथ्वी पर जीवन को कायम रखने के लिये जल स्त्रोतों को अक्षुण्य बनाये रखने की जरूरत है। भूमिगत जल भंडारों की स्थिति निर्धारित करने और भू–जल भंडार बढ़ाने के लिये नए–नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिये। श्री पांसे प्रशासन अकादमी में 'पेयजल स्त्रोतों के स्थायित्व' विषय पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्य वन संरक्षक श्री आर.एस. मूर्ति ने उदघाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि थे।

मंत्री श्री पांसे ने बताया कि पानी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, या यूं कहें कि अनिवार्य शर्त है। उन्होंने कहा कि पानी निकालना तो वदस्तूर जारी है परन्तु भूमि में पानी डालने की न तो चिंता की जा रही है और न ही प्रयास करते हैं। आज हम ऐसी खतरनाक स्थिति में पहुंच गये हैं कि कभी समाप्त न होने से लगने वाले भू–जल के भण्डार सूखने लगे हैं। जल स्तर 60–70 फिट के बजाय 60–70 मीटर नीचे तक पहुंच गया है। सिंगल फेस मोटरों में तो पाइप सामान्य रूप से ही 120 से 140 मीटर डालना पड़ रहा है। स्त्रोत असफल होने के कारण कुछ योजनाओं में हर साल स्त्रोत विकसित करने के लिये ट्यूबबेल खोदने पड़ रहे हैं।

प्रमुख सचिव श्री संजय शुक्ला ने बताया कि पीएचई, पीरामल फाउंडेशन और अन्य भागीदारों के साथ प्रदेश के 7 आकांक्षात्मक जिलों में स्वजल योजनाओं को लागू करने के लिये कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेयजल की चुनौतियों का सामना करने के लिये स्थिरता पूर्ण संरचनाओं को संस्थागत बनाये जाने की आवश्यकता है।

कार्यशाला में पीरामल फाउंडेशन के सीईओ श्री अनुज शर्मा, पीएचई विभाग के प्रमुख अभियंता के.के. सोनगरिया, सीएस शंकुले, म.प्र. जल निगम के परियोजना निदेशक श्री एन. पी. मालवीय ने भी जल संसाधनों को कायम रखने के लिये उपयोगी सुझाव दिये।

# मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना के तहत खरीदी

**इंदौर।** राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में विशेष मुहिम चलाकर आगामी एक जून से कृष उपज मंडी गौतमपुरा, सांवेर, महू और चोइथराम में निजी व्यापारियों द्वारा प्याज की खरीदी की जायेगी। राज्य शासन द्वारा प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना के तहत 800 रूपये प्रति क्विंटल की दर से भावांतर का भुगतान किया जायेगा। राज्य शासन के उद्यान विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आगामी 31 मई तक उद्यान विभाग की बेवसाइट पर प्याज कृषकों का पंजीयन किया जायेगा। कलेक्टर ने उद्यान विभाग को निर्देश दिये है कि गेंहू के लिए पंजीकृत 25 हजार किसानों के मोबाइल पर प्याज विक्रय हेतु पंजीयन और खरीदी की सभी जानकारी एसएमएस के जरिए दे दी जाये।

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन के तहत अभी 9 हजार 989 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। वर्ष 2018–19 में कृषक समृद्धि भावांतर योजना का राज्य शासन द्वारा शीघ्र ही भुगतान किया जायेगा। भावांतर भुगतान योजना के तहत गत वर्ष इंदौर जिले में 6 हजार 377 किसानों को 3 हजार 991 लाख रूपये का भुगतान किया गया था।

राज्य शासन द्वारा किसानों को प्याज का उचित मूल्य दिलाने हेतु मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना हेतु दिशा–निर्देशानुसार प्रदेश की प्याज हेतु अधिसूचित मंडियों में प्याज का मॉडल विक्रय दर रबी प्याज फसल हेतु निर्धारित अवधि में 800 रूपये प्रति क्विंटल से कम रहता है, तब उक्त स्थिति में अधिसूचित मंडियों में क्रय मूल्य एवं समर्थन मूल्य के अंतर राशि ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के द्वारा विक्रय करने वाले किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की जायेगी। प्याज उत्पादक किसानों का पंजीयन ई–उपार्जन पोर्टल पर 20 मई 2019 से 31 मई 2019 तक जिले की अधिसूचित मंडियों में प्रारंभ हो गया है, जिसमें जिले के कृषकों का पंचायत स्तर पर योजना अंतर्गत पंजीयन की कार्यवाही में सुगमता लाने हेतु ई–उपार्जन में चिन्हित संतग्न सहकारी समितियों में प्याज उत्पादक कृषकों का मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की कार्यवाही समयावधि हेतु निर्देशित किया गया है, इस हेतु वर्तमान में अधिसूचित मंडियों में पंजीयन की कार्यवाही प्रचलन में है तथा पंजीयन कार्य को सुचारू रूप से क्रियांवयन हेतु विकासखंड अधिकारियों को नोडल अधिकारी एवं जिला अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किये गये हैं, जिससे पंजीयन कार्य में गति आ सके।

(पृष्ठ 5 का शेष)

# एनईएफटी व्यवस्था

**प्रश्न 16. क्या एनईएफटी का प्रयोग एनआरई और एनआरओ खातों से/में निधियों के लेन–देन में किया जा सकता है ?**

**उत्तर** : हां, एनईएफटी का प्रयोग देश में एनआरई और एनआरओ खातों से/में निधियों के लेन–देन में किया जा सकता है। लेकिन, यह विदेशी–मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 2000 (फेमा) के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन होगा।

**प्रश्न 17. क्या आवक विदेशी मुद्रा धन–प्रेषण को एनईएफटी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है ?**

**उत्तर** : नहीं, एनईएफटी प्रणाली का प्रयोग केवल भारतीय रुपये के देश के भीतर भागीदार बैंक शाखाओं के बीच धन–प्रेषण के लिए किया जा सकता है।

**प्रश्न 18. क्या एनईएफटी के माध्यम से अन्य देशों को धन प्रेषित किया जा सकता है ?**

**उत्तर** : नहीं। लेकिन, इंडो–नेपाल धन–प्रेषण सुविधा योजना के तहत नेपाल जानेवाले धन–प्रेषण की सुविधा उपलब्ध है। योजना का विस्तृत विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

**प्रश्न 19. ऐसे कौन से अन्य लेन देन हैं जो एनईएफटी का प्रयोग करते हुए किए जा सकते है ?**

**उत्तर** : एनईएफटी प्रणाली का प्रयोग कार्ड जारीकर्ता बैंकों के क्रेडिट कार्ड की देय राशि के भुगतान में किया जा सकता है। कार्ड जारीकर्ता बैंक के क्रेडिट कार्ड की देय राशि के भुगतान को शुरू करने के लिए एनईएफटी प्रणाली में एक अलग लेन–देन कोड (सं.52) आबंटित किया गया है। एनईएफटी का प्रयोग कर बिल भुगतान लेन–देन शुरू करने के लिए हिताधिकारी कार्ड जारीकर्ता बैंक का आइएफएससी का उल्लेख करना आवश्यक है।

**प्रश्न 20. क्या किसी अन्य खाते से निधि निकालने(पाने) के लिए लेन–देन शुरू किया जा सकता है ?**

**उत्तर** : नहीं, एनईएफटी एक क्रेडिट–पुश प्रणाली है, अर्थात, लेन–देन केवल हिताधिकारी को निधि के अंतरण के लिए शुरु किये जा सकते हैं।

**प्रश्न 21. क्या हिताधिकारी के खाते में निधि के अंतरण हो जाने के बाद उसे धन–प्रेषण पावती मिलती है ?**

**उत्तर** : हां, हिताधिकारी के खाते में सफलतापूर्वक क्रेडिट हो जाने पर लेन–देन प्रारंभ करने वाले बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रारंभ करने वाले ग्राहक (एसअमएस या ई–मेल द्वारा) को क्रेडिट की सूचना के साथ–साथ दिनांक और क्रेडिट के समय की पुष्टि भेजे। इसके लिए, धन–प्रेषक को लेन–देन प्रारंभ करते वक्त शाखा में अपना मोबाइल सं./ई–मेल आईडी देना होगा।

**प्रश्न 22. क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे धन–प्रेषक एनईएफटी में अपने लेन–देन को ट्रैक कर सके ?**

**उत्तर** : हां, धन–प्रेषक मूल बैंक शाखा के माध्यम से एनईएफटी लेन–देन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। मूल बैंक शाखा के लिए इसका का पता लगाना संभव है और वे हर समय एनईएफटी लेन–देनों को ट्रैक कर सकते हैं।

**प्रश्न 23. एनईएफटी लेन–देन शुरू करने की पूर्व शर्तें क्या हैं ?**

**उत्तर** : एनईएफटी का प्रयोग कर निधि अंतरण लेन–देनों के लिए निम्नलिखित पूर्व शर्तें हैं:–

मूल और लक्ष्य बैंक शाखाओं को एनईएफटी नेटवर्क का हिस्सा होना चाहिए।

हिताधिकारी का विवरण जैसे हिताधिकारी का नाम, खाता संख्या और खाते के प्रकार।

हिताधिकारी बैंक शाखा का नाम और आइएफएससी। कुछ बैंकों ने नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए लक्ष्य बैंक और शाखा का नाम चिन्हित/चुनने/इंगित/टाइप करने से अपने यहां पॉप–अपकी सुविधा उपलब्ध करायी है।

**प्रश्न 24. एनईएफटी की अन्य विशेषताएं क्या है ?**

**उत्तर** : अक्तूबर 2005 से शुरू की गयी, एनईएफटी एक इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली है जो एक बैंक शाखा से दूसरे बैंक शाखा में निधि अंतरण करने का सुरक्षित तरीका है। एनईएफटी एंड–टू–एंड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर (पीकेआइ) का प्रयोग करता है और निधियों के इलेक्ट्रानिक अंतरण के लिए बैंक की शाखाओं को जोड़ने के लिए इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क (आइएनएफआईएनईटी) का प्रयोग करता है1 प्रतिभागी बैंकों, शाखाओं के कवरेज और लेन–देन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जो एनईएफटी प्रणाली के स्वीकार किये जाने की और लोकप्रियता को दर्शाती है। एनईएफटी प्रणाली और एनईएफटी प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देशों पर और अधिक जानकारी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

**(आर.बी.आई. से साभार)**

# प्रशासन एवं प्रबंध को गतिशील और पारदर्शी बनाता है प्रशिक्षण : श्री मिश्रा

## जबलपुर में वनोपज सहकारिता पर त्रिदिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

**जबलपुर।** म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल सहकारी प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्या. जबलपुर से सम्बद्ध प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के प्रबन्धकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण सत्र समन्वयक श्री एस.के. चतुर्वेदी द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा समिति को लेखांकन एवं अभिलेख संधारण पर विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। व्याख्याता श्री दिलीप मरमट द्वारा प्रबन्धकों के कर्तव्य एवं दायित्व बताए गये। प्रशिक्षक श्री रितेश कुमार एवं श्री चेतन गुप्ता द्वारा उपनियम एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन पर जानकारी दी गई।

प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने प्रबन्ध की विचार धारा में दायित्व बोध कराया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर उप आयुक्त सहकारिता श्री शिवम मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रशिक्षण की सार्थकता एवं उपादेयता पर प्रकाश डालते हुये कहा कि प्रशिक्षण प्रशासन एवं प्रबंध को गतिशील एवं पारदर्शी बनाता है। सेवा अवधि में दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण तथा प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रशिक्षण सेवा कर्मियों के लिये अत्याधिक लाभकारी है। प्रशिक्षण की विषय वस्तु प्रबन्धकों को ऊर्जावान बनाएगी। प्राचार्य श्री पाठक द्वारा उपायुक्त महोदय का स्वागत किया गया तथा श्री दिलीप मरमट द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। प्रशिक्षण को सफल बनाने में श्री एन.पी. दुबे, श्री शोभित ब्यौहार, श्री पीयूष राय, की सेवाए सराहनीय रही।

# सायबर अपराध व सुरक्षा उपाय पर कार्यक्रमों का आयोजन

**इन्दौर।** सहकारिता क्षैत्र को सायबर अपराध, सुरक्षा उपाय व आई.टी. एक्ट के प्रति जागरूक करने के लिये म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में सायबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर द्वारा माह मई 2019 में इन्दौर शहर की श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक, शुभलक्ष्मी महिला सहकारी बैंक, परस्पर सहकारी बैंक, अरिहंत अर्बन सहकारी बैंक तथा नंदानगर साख सहकारी संस्था में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें सायबर अपराध के प्रकार, तरीके व उनसे बचाव की तकनीक तथा आई.टी. एक्ट 2000 के प्रावधानों को समझाया गया। इससे संबंधित पाठ्य सामग्री भी वितरित की गई। प्रशिक्षार्थियों द्वारा कार्यक्रम को सामयिक बताते हुए उनके कार्यक्षैत्र के लिये उपयोगी बताया। प्रशिक्षण सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा दिया गया। आभार केन्द्र के प्रशिक्षक श्री कालका श्रीवास्तव द्वारा व्यक्त किया गया।

## डीसीए व पीजीडीसीए सत्र सम्पन्न

**इन्दौर।** म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, किला मैदान, इन्दौर में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविघालय, भोपाल से सम्बद्व डीसीए व पीजीडीसीए पाठ्यक्रम के प्रथम सत्र का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। केन्द्र के प्राचार्य श्री एन. के. कसारा ने प्रशिक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सत्र समन्वयक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा सत्र की जानकारी व कार्यक्रम का संचालन किया गया। आभार प्रशिक्षक श्री कालका श्रीवास्तव द्वारा व्यक्त किया गया।

## पैक्स प्रबंधकों के लिए दक्षता विकास प्रशिक्षण

**सतना।** मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. सतना में बैंक से सम्बद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कार्यरत समिति प्रबन्धक एवं सहायकों के लिये तीन दिवसीय दक्षता विकास प्रशिक्षण का आयोजन बैंक सभागार में 08 सें 10 मई तक किया गया। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के प्रवक्ता एस.के. चतुर्वेदी द्वारा समरूप लेखा प्रणाली, अभिलेख संधारण, म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रमुख प्रावधान, समिति के उपनियम पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।

बैंक के लेखा प्रबन्धक एस.के. पटेरिया ने समयबद्ध लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण पर चर्चा की। शाखा प्रबन्धक मुख्यालय आशीष मिश्रा ने समितियों के कार्य व्यवहार में कम्प्यूटर, ई–गर्वनन्स पर जानकारी दी। विपणन अधिकारी एस.सी. गुप्ता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के. एल. रायकवार नें मार्गदर्शन दिया तथा श्रीमती अनीता सिंह प्रबंधक स्थापना द्वारा प्रशिक्षण आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया। उप आयुक्त सहकारिता सतना के निर्देशानुसार प्रतिनिधि के रूप में वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक देवराज सिंह उपस्थित रहें।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।